प्रेषक,

वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता,
मंत्री कार अनुभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़।

क्रमांक 28 /ईए2/म0का0अ0 दिनांक : 04-01-24

विषयः— **राज्य परिवहन विभाग (हरियाणा रोडवेज) की official website (https://hartrans.gov.in) पर पत्र उपलोड करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि मंत्री कार अनुभाग में चालको की नियुक्ति के लिए पत्र को विभाग की official website (https://hartrans.gov.in) पर दिनांक 05.01.2024 तक उपलोड किया जाना है।

संलग्नः— उपरोक्त।

वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता,
मंत्री कार अनुभाग,
हरियाणा—चण्डीगढ़ ।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. आयुक्त एवं प्रधान सचिव, राजस्व, हरियाणा सरकार।
3. सभी आयुक्त, हरियाणा सरकार।
4. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार।
5. सभी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन।

क्रमांकः– 27 /ईए2/म.क.अ. दिनांकः– 04-01-24

विषयः– मंत्री कार अनुभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ में चालकों की नियुक्ति बारे।

मंत्री कार अनुभाग में कुछ चालको के पद स्थानान्तरण आधार पर भरे जाने है जिनका वेतनमान FPL-4 तथा 300/–रू0 विशेष वेतन तथा समय–2 पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते है। आपके कार्यालय में जो चालक रैगूलर आधार पर कार्य कर रहे है और मंत्री कार अनुभाग में कार्य करने के इच्छुक है तथा निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो तो उनके प्रार्थना पत्र उनकी गोपनीय रिपोर्ट के विवरण व दस्तावेज उचित माध्यम द्वारा वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, हरियाणा, प्लाट न0 20–21, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, चण्डीगढ़ में दिनांक 14.01.2024 तक भेजने की कृपा करे।

योग्यतायें/अनुभवः–

1. मैट्रिक हिन्दी सहित।
2. लाईट मोटर व्हीकल ड्राईविंग लाईसैंस।
3. तीन वर्ष का स्टाफ कार चलाने का अनुभव होना चाहिये ।

शर्तेः–

1. हाई पावरर्ड कार चलाने व तकनीकी जानकारी रखता हो।
2. दस वर्ष का मोटर व्हीकल ड्राईविंग लाईसैंस होना चाहिये।
3. वी0आई0पी0 मोटर व्हीकल चलाने का अनुभव होना चाहिये।
4. चालक के विरूद्व कोई नियम 4a व 4b के तहत आरोप पत्र/कोर्ट केस/र्चाजशीट लंबित नही होना चाहिए।

जिन चालकों का सेवा रिकार्ड अच्छा नही हो, चालक के विरूद्व जांच पडताल लंबित हो, निर्धारित योग्यतायें न रखता हो उनके नाम न भेजे जाये। हर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ उसकी गोपनीय रिपोर्ट का विवरण अवश्य भेजा जाऐ। किसी भी प्रार्थी द्वारा दिया गया सीधा प्रार्थना पत्र या वांछित तिथि के पश्चात् या उसकी गोपनीय रिपोर्ट विवरण के बिना प्राप्त हुआ तो उस पर विचार नही किया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति के लिये चुने गये चालको का एक वर्ष तक परीवीक्षा अवधि (probation period) रहेगा। परीवीक्षा अवधि (probation period) के दौरान चालक का लियन उनके पैतृक विभाग में रहेगा। परीवीक्षा अवधि (probation period) पूर्ण होने पर चालक को मंत्री कार अनुभाग में पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया जाएगा।

सभी विभागों से अनुरोध है कि इस अनुभाग में आने के इच्छुक चालकों के प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से उपरोक्त सूचना/ रिकार्ड सहित निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दें।

वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता,
कृते– निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़।